वन संरक्षण अधिनियम को कार्यान्वित किया जाना

2811. श्री रामसिंह राठवा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को कार्यान्वित किये जाने में कुछ बाधायें महसूस की जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम के तहत गुजरात में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में पेड़ों की कटाई के कारण उठे मामलों की संख्या कितनी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) क्षतिपूरक वनरोपण की धीमी प्रगति के कारण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के कार्यान्वयन में बाधा आ रही है ।

(ख) गुजरात में 15463 हैक्टेयर के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 5717 हैक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूरक वनरोपण किया गया ।

(ग) पुनर्वनीकरण के लिये प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की कटाई को छोड़ कर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वृक्षों की कटाई के संबंध में निर्णय नहीं लिया जाता है । लेकिन वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत गुजरात में 1-1-1989 से वनेत्तर प्रयोजन के लिये वन भूमि को उपयोग में लाने के 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई ।

गुजरात में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना

2812. श्री राम सिंह राठवा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, विदर्भ क्षेत्रों में कितने जिलों को समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना में शामिल किया गया है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस परियोजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा उन्हें कहां तक प्राप्त किया गया है ; और

(ग) आगामी वर्षों में किन-किन जिलों को इस परियोजना में शामिल किये जाने का विचार है ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) समेकित परती भूमि विकास परियोजनाओं की स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में गुजरात के भावनगर, पंचमहल, जूनागढ़, जामनगर तथा सुरेन्द्र नगर जिलों के लिये परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं । लक्ष्य और उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:-

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1990-91	2425	1700
1991-92	1000	900

(ग) इन जिलों के लिये पहले से स्वीकृत की जा चुकी परियोजनाओं का आगामी वर्षों में विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है ।